

मध्य प्रदेश शासन  
ऊर्जा विभाग

आदेश

भोपाल दिनांक 12/02/04

क्रमांक: 670/13/2004: राज्य शासन, एतद् द्वारा, जनहित में—

- 1) म.प्र. राज्य विद्युत मंडल को 1.1.2001 से 31.12.2003 तक की अवधि के 5 अश्वशक्ति तक के कृषि उपभोक्ताओं एवं सभी श्रेणियों के एकलबत्ती उपभोक्ताओं के विद्युत बिलों की बकाया देय राशि के भुगतान की जिम्मेदारी अधिग्रहित करता है ।
- 2) दिनांक 1 जनवरी, 2004 के पश्चात् निःशुल्क विद्युत प्रदाय की सुविधा मात्र निम्नलिखित हितग्राहियों को प्रदान करता है, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य शासन म.प्र. राज्य विद्युत मंडल को करेगा—
  - (अ) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एकलबत्ती उपभोक्ताओं को केवल 25 यूनिट प्रतिमाह ।
  - (ब) 1 हेक्टेयर तक की जमीन वाले 5 हार्स पावर तक के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कृषि उपभोक्ता ।
- 3) 5 अश्वशक्ति तक के संयोजनों वाले जिन किसानों द्वारा 1.1.2001 से 31.12.2003 की अवधि में बिलों के भुगतान किये गये थे, उनके भुगतान का समायोजन म.प्र. राज्य विद्युत मंडल द्वारा 1 अप्रैल, 2005 से किश्तों में प्रारंभ करने हेतु राशि के भुगतान की जिम्मेदारी अधिग्रहित करता है ।

## आदेश

भोपाल, दिनांक 16.06.2010

क्रमांक एफ-17/2010/तेरह: राज्य शासन एतद्द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 65 के अनुसार म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा वर्ष 2010-11 के लिए दिनांक 18 मई 2010 को जारी टैरिफ आदेश द्वारा लागू विद्युत दरों में निम्नलिखित उपभोक्ता श्रेणियों को निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान करता है:-

1. केवल 30 यूनिट तक के मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 90 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाए ।
2. 25 अश्वशक्ति तक संबद्ध भार वाले पावरलूम उपभोक्ताओं को 125 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी दी जाए एवं इन उपभोक्ताओं से वास्तविक खपत के आधार पर ही भुगतान लिया जाए ।
3. निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं हेतु निम्नानुसार सब्सिडी प्रदान की जाए:-

(एल.व्ही.-5.1)

(1)	स्थायी संयोजन	मीटर युक्त	मीटर रहित
(अ)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट)	175 पैसे	175 पैसे
(ब)	301 से 500 यूनिट प्रतिमाह तक की खपत (प्रति यूनिट )	205 पैसे	205 पैसे
(स)	500 यूनिट से ऊपर की खपत (प्रति यूनिट)	190 पैसे	190 पैसे
(2)	अस्थायी संयोजन	190 पैसे प्रति यूनिट	
(3)	डी.टी.आर. मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय	150 पैसे प्रति यूनिट	

4. नगरपालिका एवं नगर पंचायत की निम्नदाब सड़ककबत्ती योजनाओं हेतु मासिक फिक्स्ड चार्ज पर रु. 96 प्रति किलोवाट की सब्सिडी दी जाए ।
5. उच्च दाब सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार के भुगतान से छूट प्रदान की जाए ।